कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक 01 /भर्ती/2017, बलौदाबाजार, दिनांक 02 /02/2017

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 02.03.2017 संध्या 05:00 बजे तक

बलौदाबाजार न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी के सहायक ग्रेड–तीन (सेलअमीन –08, साक्ष्य लेखक–01, आदेशिका लेखक–01, जूनियर नायब नाजिर–02) के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक/उम्मीद्वारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आंमित्रत किये जाते हैं :–

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अ.ज.जा.				अ.जा.				अ.पि.व.				अनारक्षित वर्ग			
		मु.	म.	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मु.	म.	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मु.	म.	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मु.	म.	दिव्यांग	भू.पू.सै.
सहायक ग्रेड–3 (सेल अमीन, सा.ले., आ.ले., जू.ना.ना.)	12	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1
कुल	**12**	**5**	**1**	**1**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**2**	**1**	**—**	**1**

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–

सहायक ग्रेड–तीन पद के लिए :–

अ– वेतनमान 5200–20200/– ग्रेड वेतन 1900/–

ब– शैक्षणिक योग्यता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

2- छ.ग./म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

3- डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

नोट :– 1) रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है । उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन क्रमांक सी 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगा ।

2) यह विज्ञप्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकेगी ।

महत्वपूर्ण – **यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन – पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी ।**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही आरक्षित है । मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के

मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, छत्तीसगढ़ राज्य में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

आयु एवं पात्रता

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो । (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट रहेगी ।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(स) कोई पुरूष उम्मीद्वार जिसके एक से अधिक पत्नि जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मीद्वार, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में अभ्यर्थी के लिए दिनांक 01–01–2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 40 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी ।

(4) विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(5) आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जायेगा ।

उच्चतर आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–25–93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(एक) (3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(एक) (4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(एक) (6)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगा, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

(एक) (7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3, दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

(एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(एक) (9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–सी.3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–सी. 3/18/85/3/1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :– (1) बिंदु क्रमांक (एक) के अंतर्गत अधिक लाभकारी एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिन्दु क्रमांक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी । यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्तकार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट और दी जाएगी ।

उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

01– आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए–4 साईज के पेपर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे, प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 02.03.2017 को संध्या 05.00 बजे तक** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **''सहायक ग्रेड–तीन के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र''** लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) के कार्यालय में केवल **स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/हमदस्त** द्वारा प्रेषित किये जा सकते हैं । **दिनांक 02.03.2017को संध्या 05.00 बजे** के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ **शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन** आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है ।

ई–मेल, फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

02– जन्मतिथि की सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

03– बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा ।

04– प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता/अनुभव की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय आवेदन की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता/अनुभव घोषित नहीं किया जा सकेगा । आवेदक द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय निरस्त/समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी । आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।

05– विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार के विभागीय वेबसाईट www.ecourts.gov.in/balodabazar में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है ।

06– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

07– आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुए दो खुले लिफाफे प्रत्येक पर 05–05/– की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें । यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया गया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी ।

08– आवेदन के प्रारूप के अंत में दर्शाये क्रम के अनुसार ही शैक्षणिक व अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावे ।

चयन प्रक्रिया

प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, तथा कार्यालय के विभागीय वेबसाईट www.ecourts.gov.in/balodabazar में अपलोड की जायेगी एवं 07 दिवस के भीतर दावा आपत्ति मंगाई जायेगी । तत्पश्चात् अंतिम पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी । नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त होने वाले दावा–आपत्ति/आवेदन पत्र पर विचार नहीं की जायेगी।

निर्धारित तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट www.ecourts.gov.in/balodabazar से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं । लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा । अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों से 10 गुना से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा लिया जा सकेगा। लिखित परीक्षा केवल कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए ही ली जावेगी। लिखित परीक्षा का अंक मेरीट सूची में नहीं जोड़ा जावेगा। लिखित परीक्षा एक से अधिक पाली/दिवस में ली जा सकती है ।

सहायक ग्रेड–तीन के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जावेगा । चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिनके निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं :–

1–	लिखित परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	–	50 अंक
2–	प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा	–	40 अंक
3–	साक्षात्कार	–	10 अंकों

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, समसामयिक विषयों पर प्रश्न, गणित व साहित्य–संस्कृति विषयक प्रश्न से संबंधित 50 अंकों का बहुविकल्पीय 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प का चयन करना होगा । सही चयन किए गए विकल्प पर प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है । परीक्षा की अवधि 01.00 (एक) घण्टे की होगी ।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा । अंतिम अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करते हैं तो उक्त संख्या अधिक हो सकती है ।

सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु उम्मीदवार को डाटा एन्ट्री की गति 8000 'की' (डिप्रेशन) प्रति घंटा गति के संबंध में दिये गये गद्यांश (हिन्दी/अंग्रेजी) को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टाईप करना होगा । । जिसमें हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग रहेगा तथा टाईप की 01 अशुद्धि पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी ।

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार 03 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा, और उसके पश्चात् कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन सूची जारी की जायेगी। मेरिट सूची तैयार करते समय उपरोक्त दोनों परीक्षा के आधार पर 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्गवार रिक्त पदों की दोगुनी प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची, परिणाम घोषित करने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

1– छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

2– चयन उपरांत, कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

3– अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय , शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो, तो वह अपात्र माना जावेगा ।

4– कोई भी अभ्यर्थी किसी दांडिक प्रकरण में दंडित किया गया हो, तो वह अपात्र माना जावेगा ।

5– अभ्यर्थी को किसी नैतिक धृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय, संघ, राज्य सेवा आयोग, किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो ।

6– परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा ।

7– महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीद्वार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीद्वार का चयन किया जा सकेगा ।

8– चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9– चयनित उम्मीद्वार का चरित्र सत्यापन कराए जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।

10– समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी । जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी ।

11– आवेदक पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश दिवस घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथि मानी जावेगी ।

12– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार होगा ।

13– चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा ।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

अन्य विशेष सूचनाऐं

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी । जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किए जाएंगे ।

उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक–पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी । साथ ही जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण सहित उपस्थित हो सकेंगे । परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीद्वारी यदि सही पाई गई तो, उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी ।

अनुमोदित
2/2/17
District & Session's Judge
Baloda Bazar (C.G.)

02-02-17
अध्यक्ष, चयन समिति,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बलौदाबाजार (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
(सहायक ग्रेड–तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु)

वर्तमान का नवीनतम फोटो चस्पा करें ।

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बलौदाबाजार (छ.ग.)

1. **आवेदित पद का नाम** : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   : ....
   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) : ....
3. लिंग–पुरूष, संकेतांक –1, महिला संकेतांक–2 : [ ]
4. पिता/पति का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
   (हिन्दी में)
   : ....
   : ....
   : ....
   (ब) स्थायी पता : ....
   : ....
   : ....
   : ....
6. (अ) जन्म तिथि अंकों में : ....
   शब्दों में ....
   (ब) दिनांक 01–01–2017 को आयु : वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हां/नहीं [ ]
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें । : [ ]

9. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। :

10. क्या आवेदक विकलांग है ? हरं / नहीं। : (यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? : हां / नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।)

13. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक दिनांक

14. रोजगार कार्यालय का नाम : ....
....
....

15. क्या आप विवाहित हैं ? (हां / नहीं) :

16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि :

17. जीवित बच्चों की संख्या :

क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं ? ....
हां/नहीं ? (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र) पत्र संलग्न करें ।
20. क्या आवेदक को किसी दांडिक प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया गया है अथवा दांडिक प्रकरण दर्ज हुआ हो तो प्रकरण की स्थिति के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें ....
21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति उक्त दर्शित क्रम में संलग्न करें)

1...6..
2...7..
3...8..
4...9..
5...

दिनांक : .... आवेदक का हस्ताक्षर
स्थान : .... नाम एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक : .... आवेदक का हस्ताक्षर
स्थान : .... नाम एवं पूरा पता

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

लिखित / कौशल / साक्षात्कार परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र

रोल नंबर : ....

परीक्षा केन्द्र / स्थान : ....

परीक्षा का दिनांक : ....समय

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा ।)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

आवेदक बाक्स में हस्ताक्षर करें ।

(आवेदक द्वारा भरे जाने वाली जानकारी)

आवेदित पद का नाम : ....

परीक्षार्थी का नाम : ....

पिता का नाम : ....

पिता का नाम : ....

पता : ....

: ....

: ....

प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है ।
3. परीक्षा में केवल काले या नीले पेन का उपयोग करें ।
4. परीक्षा के दौरान वीक्षक / चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा । पर्यवेक्षक / चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा ।
5. परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जायेगी ।
6. परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक,, कैल्क्यूलेटर, मोबाईल इत्यादि रखना वर्जित है ।